रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 1984/श्रावण 9, 1906
No. 362] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1984/SRAVANA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1984

का. आ. 549(अ).—उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 (1978 का 11) की धारा 7 की उपधारा 7 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री अशोक चन्द्र को उक्त धारा के अधीन उस प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है, जो किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए उस अवधि को बढ़ा सकता है, जिसके दौरान उच्च मूल्य के नोट विनिमय के लिए प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

[संख्या एफ. 5/7/84-बी. ओ.-1]
अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1984

S.O. 549(E).—In pursuance of sub-section (7) of section 7 of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act, 1978 (11 of 1978), the Central Government hereby authorises Shri Ashok Chandra, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi, as the authority to extend in any case or class of cases, the period during which high denomination bank notes may be tendered for exchange under the said section.

[No. F. 5|7|84-BO-I]

ASHOK KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984